दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 12 दिसंबर, 2014 को पूर्वाहन 10:00 बजे, राज निवास, दिल्ली में आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत।

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

अध्यक्ष

श्री नजीब जंग,

उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

श्री बलविंदर कुमार

सदस्य

1. श्री अभय सिन्हा,

   अभियंता सदस्य, दि. वि. प्रा.,

2. श्री डी एस मिश्रा

   अपर सचिव,

   शहरी विकास मंत्रालय
   भारत सरकार

सचिव

श्री डी. सरकार
आयुक्त एवं सचिव,दि.वि.प्रा.

विशिष्ट आमंत्रिती एवं वरिष्ठ अधिकारी

1. श्री नूतन गुहा बिस्वास
   उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव

2. श्री राजेन्द्र कुमार,
   सचिव (शहरी विकास), रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार

3. श्री टी. श्रीनिधि
   प्रधान आयुक्त (आवास, भूमि निपटान और सीडब्ल्यूजी), दि.वि.प्रा.

4. श्री दयानंद कटारिया,
   प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन, कार्मिक और प्रणाली) ,दि.वि.प्रा.

5. श्रीमती स्वाति शर्मा

उपराज्यपाल, दिल्ली की अपर सचिव

6. श्री आर.एन.शर्मा
उपराज्यपाल, दिल्ली के अपर सचिव

7. डॉ. (श्रीमती) सिमी मल्होत्रा
उपराज्यपाल, दिल्ली के परामर्शदाता (मीडिया, अकादमिक,कला, संस्कृति एवं भाषा),

8. श्री अजय चौधरी
उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष कार्याधिकारी

9. श्री एम.के.गुप्ता
आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा.

10. श्री बृजेश कुमार मिश्रा
आयुक्त (भूमि निपटान), दि.वि.प्रा.

11. श्री आर.के.जैन
आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.

12. श्री अनिल कुमार शर्मा
मुख्य विधि सलाहकार, दि.वि.प्रा.

13. श्रीमती सविता भंडारी
अपर आयुक्त (भू-दृश्यांकन), दि.वि.प्रा.

14. श्री एस.पी.पाठक
अपर आयुक्त (योजना), एम.पी.आर., डीडीए

15. श्री अमित दास
अपर आयुक्त (क्षेत्र योजना), दि.वि.प्रा.

16. श्रीमती आई.पी. पराते
निदेशक (योजना), दि.वि.प्रा.

17. श्रीमती पूनम ए. दीवान
निदेशक (भूदृश्यांकन), डीडीए

18. डॉ. के. श्रीरंगन
निदेशक, एबीसीएंडजी, दि.वि.प्रा.

19. डॉ. एच.के. भारती
निदेशक (योजना) यूटीपैक, दि.वि.प्रा.

20. श्री शमशेर सिंह
चीफ टाउन प्लानर, एस.डी.एम.सी. और एन.डी.एम.सी.

21. श्री सुनील मेहरा
चीफ टाउन प्लानर, ई.डी.एम.सी.

22. श्रीमती पारोमिता रॉय
उपनिदेशक, यूटीपैक, दि.वि.प्रा.,

23. श्रीमती साक्षी वालिया
सहायक निदेशक (योजना), दि.वि.प्रा.

24. श्रीमती नीमो धर
सलाहकार (पीआर), दि.वि.प्रा.

I. बैठक शुरू होने से पूर्व, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/ अध्यक्ष, दि.वि. प्रा. ने 23 नवंबर, 2014 को श्री जे.बी. क्षीरसागर, चीफ प्लानर, टीसीपीओ के अचानक निधन पर गहरा क्षोभ प्रकट किया जोकि प्राधिकरण की बैठक में विशिष्ट आमंत्रिती थें । श्री क्षीरसागर ने नवंबर 2012 से अगस्त 2014 तक आयुक्त (योजना) दि.वि.प्रा. का पदभार भी संभाला था । माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/ अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने कहा कि श्री क्षीरसागर एक बहुमूल्य साथी और उन संस्थाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण थें जिनमें उन्होंने काम किया और उनकी यादें हमेशा कायम रहेंगी। आगे यह भी सूचित किया गया कि श्री क्षीरसागर के सुपुत्र, जो कि केवल 24 वर्ष के थें उनका निधन भी 6 दिसंबर 2014 को हो गया था ।
दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए दो-मिनट का मौन रखा गया ।

II. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशिष्ट आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

<u>मद संख्या 169/2014</u>

दिनांक 7.11.2014 को राज निवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
एफ. 2(2)2014/एमसी/डीडीए

i) आयुक्त (भूमि प्रबंधन), दि.वि.प्रा. के नोट सं. टीएन.2(10)2014/डीडीए/79 में यथा प्रस्तावित दिनांक 7.11.2014 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यवृत्त में संशोधन को स्वीकृत कर लिया गया ।

ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 7.11.2014 को आयोजित बैठक के शेष कार्यवृत की यथा परिचालित की पुष्टि की गई ।

मद संख्या 170/2014

(i) दिनांक 9.10.2014 को राज निवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2(3)2015/एम सी /डी डी ए

दिनांक 9.10.2014 को आयोजित दि.वि.प्रा. की बैठक के कार्यवृत पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया गया।

मद संख्या 171/2014

लाडो सराय (जोन-एफ) में 0.29 हेक्टेयर (2900 वर्ग मीटर) भूमि के भूमि उपयोग में "मनोरंजनात्मक" (डिस्ट्रिक्ट पार्क) से "सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (अस्पताल)" में परिवर्तन ।

एफ 3 (67)98/एमपी

यह निर्णय किया गया कि :

i) भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु आवश्यक अनुमोदन केवल तब ही जारी किया जाएगा जब डीडीए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), अग्निशमन विभाग, पीडब्ल्यूडी, यातायात पुलिस और यूटीपैक से अनापत्ति प्राप्त कर लेगा ।

ii) ऐसे मामलों में डीडीए के अधिकारियों द्वारा हमेशा एक स्थल निरीक्षण किया जाएगा ।

अपर सचिव (शहरी विकास मंत्रालय) ने कहा कि भूमि उपयोग में परिवर्तन के सभी प्रस्ताव एक विस्तृत पृष्ठभूमि नोट के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिसमें प्रस्तावित सार्वजनिक उद्देश्य स्पष्टतया निर्दिष्ट हों ।

मद संख्या 172/2014

दिल्ली मुख्य योजना 2021 के अनुसार जोन-'डी' (नई दिल्ली) की क्षेत्रीय विकास योजना का प्रारुप

एफ 4(4)/2007/एम पी/पार्ट-1

यह निर्णय लिया गया कि शहरी विकास मंत्रालय के संदर्भ में, निदेशक (डीडी) से उपाध्यक्ष, डीडीए को संबोधित दिनांक 6/10/2008 के अर्धशासकीय पत्र को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मुख्य योजना-2021 के अनुसार जोन-'डी' (नई दिल्ली) की क्षेत्रीय विकास योजना का प्रारूप प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमोदन हेतु पीएमओ भेजे जाने की आवश्यकता है ।

एजेंडा मद को अनुमोदित नहीं किया गया ।

मद संख्या 173/2014

मुकुंदपुर-यमुना विहार कॉरिडोर एमआरटीएस, फेज-III पर जोन-जी में मायापुरी में मेट्रो स्टेशन के निर्माण हेतु पॉकेट 1 (680.70 वर्ग मीटर) और पॉकेट 2

(6560.10 वर्ग मीटर) के भूमि उपयोग में मनोरंजनात्मक (पी2- डिस्ट्रिक्ट पार्क) से 'परिवहन' (टी3- एमआरटीएस सर्कुलेशन) में परिवर्तन

एफ 20(05)2014/एम पी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या174/2014
दिल्ली मुख्य योजना-2021 में डीएसआईआईडीसी द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के संबंध में संशोधन ।
एफ 3(08)2013-एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया । हालांकि, अपर सचिव (शहरी विकास मंत्रालय) ने अवलोकन दिया कि अंतिम अधिसूचना के लिए जारी करने हेतु अग्रेषित करते समय शहरी विकास मंत्रालय को इस मामले में विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

मद संख्या 175/2014
भूमि उपयोग में प्रस्तावित परिवर्तन (सीएलयू) :-

i) एमआरटीएस, फेज-III के लिए कार मेंटेनेंस डिपो के निर्माण और विनोद नगर (पूर्व) में पेट्रोल पंपों को स्थानांतरित करने के लिए योजना जोन – 'ई' में 1,99,005.10 वर्ग मीटर क्षेत्र को (अंशतः) 'मनोरंजनात्मक' और (अंशतः) 'आवासीय' से 'परिवहन' (डिपो और दो फ्यूल स्टेशन/पेट्रोल पंप) में परिवर्तित करना ।

ii) 18,396.96 वर्ग मीटर क्षेत्र को 'मनोरंजनात्मक' से 'परिवहन' (बस डिपो) में परिवर्तित करना ।

iii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के लिए ईडीएमसी को आबंटित 11635.34 वर्ग मीटर क्षेत्र को 'मनोरंजनात्मक' से 'यूटिलिटी' में परिवर्तित करना ।
एफ. 20(4)2012/एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या 176/2014

ओल्ड स्कीम ब्रांच में टर्म लीज़ के नवीनीकरण के संबंध में नीति
एफ. पीएस/सी(एलडी)/2010/ओएसबी

अपर सचिव (शहरी विकास मंत्रालय) ने इंगित किया कि एजेंडा मद बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है । विस्तृत चर्चा के उपरांत यह समाधान किया गया कि :

i) जहां लीज समाप्त हो चुकी हो वैसी लीजहोल्ड संपत्तियों के परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 31/12/2015 तक कनवर्जन हेतु सीमित अवधि योजना पर काम किया जाना चाहिए । हालांकि, यह प्रभार केवल आवासीय संपत्तियों के संबंध में लागू होते हैं जिनका उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो । ऐसी संपत्तियों के संबंध में जहां उपयोग को व्यावसायिक अथवा औद्योगिक अथवा अन्य प्रयोजन में परिवर्तित किया गया है, यह प्रभार लागू नहीं होंगे ।
ii) लीज को बढ़ाने के लिए नियमितीकरण प्रभार की गणना पूर्ण औसत नीलामी दर पर की जानी चाहिए अर्थात् जो समाप्त हो चुके लीज के पुनर्नवीनीकरण हेतु फाइनेंस विंग की संस्तुतियों के अनुसार वार्षिक नीलामी दर पर आधारित हो ।

<u>मद संख्या 177/2014</u>
निजी विकासकर्ताओं और कॉरपोरेट निकायों द्वारा डीडीए के हरित क्षेत्रों/पार्कों के रखरखाव और विकास हेतु "पार्कों को अंगीकृत" करने की योजना के निबंधन एवं शर्तों में संशोधन ।
एफ.पीए/एसी/एलएस/2014/डीडीए/187

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को निम्नलिखित अवलोकनों के साथ अनुमोदित किया गया:-

i) शुरुआत में इच्छुक कॉरपोरेट निकायों/आरडब्ल्यूए आदि को प्रायोगिक आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए 50 पार्क दिए जाएंगे जिसके बाद उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाएगी ।

ii) बाद में, इस योजना को पार्कों के अंगीकरण की नीति के अनुसार लागू होने वाले निबंधन एवं शर्तों पर अन्य पार्क के लिए विस्तारित किया जाएगा ।

iii) एक समुचित सेवा स्तर समझौते (एसएलए) को ड्राफ्ट किया जाना चाहिए जिसके लिए डीडीए का विधि विभाग एम्स के पास सार्वजनिक हरित क्षेत्र के रखरखाव हेतु पीडब्ल्यूडी के समझौते के निबंधन एवं शर्तों की जांच करेगा । एसएलए में एक्जिट क्लॉज भी शामिल होना चाहिए ।

iv) बडे पार्क अधिमानतः केवल ऐसी कंपनियों/कॉरपोरेट निकायों को ही दिए जाएं जिनका एक न्यूनतम विनिर्धारित टर्नओवर हो, जिसका स्पष्ट निर्णय किया जाए । आरडब्ल्यूए को केवल उनके परिसर में रखरखाव हेतु पार्क दिए जाने चाहिए ।

v) यह नीति धार्मिक संगठनों पर लागू नहीं होगी ।

vi) विवाह सहित किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी । सांस्कृतिक गतिविधियों के उपयोग हेतु विचार किया जा सकता है ।

vii) जहां पार्क आरडब्ल्यूए द्वारा अंगीकृत किए जाएंगे वहां बिजली और पानी के बिल का भुगतान डीडीए द्वारा किया जाएगा। व्यावसायिक संगठनों को ऐसे भुगतान से छूट नहीं मिलेगी।

viii) अवधि पूर्ण होने के उपरांत, रखरखाव आदि के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने पर अनुबंध 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वतः नवीनीकृत हो जाएगा ।

मद संख्या 178/2014

यमुना नदी के पुनरुद्धार हेतु एकीकृत केन्द्र (नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण)
एफ. पीए/एसी/एलएस/डीडीए/2014/172

तीनों नगर निगमों के आयुक्तों को यमुना नदी के पुनरुद्धार हेतु एकीकृत केन्द्र (यूसीआरआरवाई)के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाएगा ।

एजेंडा मद में शामिल प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या 179/2014

दिल्ली विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग के विभिन्न पदों के भर्ती विनियमों में संशोधन

एफ 7(135) /2010/पीबी-I

एजेंडा मद में शामिल प्रस्तावों को निम्नलिखित निदेशों के साथ अनुमोदित किया गया:-

i) सभी कैडरों के लिए भर्ती विनियमों में संशोधन करते समय डीओपीटी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए ।

ii) राजस्व कैडर के लिए उपर्युक्त बिन्दू (i) के अनुसार शर्त लागू होगी ।

मद संख्या 180/2014

"गीता कॉलोनी में सुविधा एवं व्यावसायिक केन्द्र और आवासीय परिसर" के ले-आउट प्लान में संशोधन
एफ 3(104)98/एम पी /पार्ट- I (पार्ट फाइल)

अग्निशमन विभाग से पहले अनापत्ति प्राप्त करने की शर्त पर एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या 181/2014

ईस्ट दिल्ली हब: टीओडी विकास मानकों पर कड़कड़डूमा में 30 हेक्टेयर भूमि का समेकित विकास-प्रथम टीओडी परियोजना

एफ.11(01)2010/यूटीपैक/वॉल्यूम-III (पार्ट)

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को इस सुझाव के साथ अनुमोदित किया गया कि परियोजना को स्मार्ट सिटीज के लिए प्रस्तावित सभी घटकों के साथ विकसित किया जाएगा।

मद संख्या 182/2014

दिल्ली मुख्य योजना-2021 के प्रावधानों के अंतर्गत सहकारी समूह आवासीय सोसायटियों (सी.जी.एच.एस.) द्वारा एफ.ए.आर. का उपयोग

एफ 7(16)/2002/बिल्डिंग/पार्ट II

यह निर्णय लिया गया कि उपलब्ध अतिरिक्त एफ.ए.आर. सोसायटी की आवासीय इकाइयों के लिए होगा जिसके लिए सोसायटी को अनुमोदन हेतु संशोधित लेआउट प्लान प्रस्तुत करना होगा ।

यह भी नोट किया गया कि "समूह आवासों में ग्राउंड कवरेज = 33.3% (शेष ए.फ.ए.आर का लाभ प्राप्त करने हेतु परिवर्धन/ संशोधन के मामले में 40% के ग्राउंड कवरेज की अनुमति होगी)" को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है और अंतिम अधिसूचना हेतु यह शहरी विकास मंत्रालय के पास लंबित है,अतः एजेंडा मद का अनुमोदन इस अधिसूचना को जारी करने की शर्त के अधीन

होगा ।

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को उपर्युक्त संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया ।

<u>मद संख्या 183/2014</u>

पीवीसीबाज़ार परियोजना, टिकरी कलां रोहतक रोड, जोन-एल के ले-आउट प्लान में निर्धारित 17540 मीटर प्लॉट के भूमिउपयोग में परिवर्तन करके इसे "विनिर्माण, सेवा एवं मरम्मत उद्योग (एम-1)" से "सुविधा (यू-4)" ठोस अपशिस्ट प्रसंस्करण/सुविधा स्थलों से एमएसडब्ल्यू और पीवीसी अपशिष्ट करने का प्रस्ताव ।

एफ 20(09)2015/एम पी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया ।

<u>मद संख्या 184/2014</u>

हरित भवनों के प्रोत्साहन और भवनों/ परिसरों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव की निगरानी के लिए एक नियामक प्रणाली तैयार करने हेतु विनियम

एफ.20(01)2013/एम पी/पार्ट-II

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को इस अवलोकन के साथ अनुमोदित किया गया कि संपत्ति कर में छूट के संबंध में संस्तुति के लिए परामर्शिका के रूप में एम.सी.डी. का संदर्भ लिया जाएगा । इसके अलावा प्रस्तावित संशोधन/आशोधन में पैरा 3.1, कॉलम-3 में "आदि" शब्द को हटाया जाएगा।

<u>मद संख्या 185/2014</u>

(क) समूह आवासीय प्लॉटों के निपटान की नीति और

(ख) वरिष्ठ नागरिक सर्विस अपार्टमेंट्स का निर्माण ।

एफ पीएस/पीसी (एलडी)/डीडीए/2014/एनआरजीएचएस

विस्तृत चर्चा के उपरांत एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया । अंतिम निबंधन और शर्तों को प्रकाशित करने से पूर्व वित्त शाखा से परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा ।

अन्य मुद्दे :

यह दोहराया गया कि भविष्य में प्राधिकरण की बैठक से कम से कम 7 दिन पूर्व एजेंडा मदों को परिचालित किया जाएगा । बाद में बहुत महत्वपूर्ण होने पर ही प्रस्तुत मद पर विचार किया जाएगा ।

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद किया।

बैठक, अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।